न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत अलेई

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 2 / 47 / 15

अनुवान–   ओमप्रकाश बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

07.06.2018:–आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत अलेई पर मूल वाद के साथ पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण मे दिनांक 16.11.2009 को एकतरफा वकील प्रार्थी सुनी जाकर आराजी हाल खसरा नं0 114 / 0.20, 115 / 0.05, वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ के मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अप्रार्थीगण को दिनांक 22.01.2010 तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने बाबत जारी की गई है, तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब करने के आदेश जारी किये गये है। अप्रार्थीगण की और से बार–बार अवसर दिये जाने के बाद जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है। प्रकरण मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञां का प्रचलन दिनांक 16.11.2009 से प्रभावी है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार कर मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. आराजी हाल खसरा नं0114 / 0.20, 115 / 0.05, वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ आंशिक स्वीकार किया जाता है। आराजी विवादित की मौके की यथास्थिति दावे के निर्णय तक बनाये रखने हेतु अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञां से पाबन्द किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति सलंग्न मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट अलेई तहसील राजगढ पर सुनाया गया।

(पवन कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत अलेई